

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/क्षेत्रस्थाविधि(आवंटन)-31/2012-227 (4)/रा0 पटना-15, दिनांक- 18.3.16

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में कुल 7,51,720.00 (सात लाख इकावन हजार सात सौ बीस रु०) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के मानदेय भुगतान हेतु जिला से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार राशि की स्वीकृति दी जाती है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क०प०उ०

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु0-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 227

(4)/रा0, पटना-15, दिनांक- 18.3.16

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0-यथोक्त।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 227

(4)/रा0, पटना-15, दिनांक- 18.3.16

आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ। विभागीय बेव-साईट पर इसे प्रदर्शित कर दिया जाय।

अनु0-यथोक्त।


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
संयुक्त सचिव।

फै वसा
ई-मेल

मुख्य शीर्ष-2029 मॉग सं0-40 विपत्र कोड-N-2029001040001 अंतर्गत 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत राशि का जिलावार विवरणी।

क्र0	जिला	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	2		4
1	सिवान	121720	1021/स्था0, दिनांक-29.12.2015
2	सहरसा	90000	1125/स्था0, दिनांक-19.05.2015
3	शिवहर	90000	595/रा0/दिनांक-05.10.2015 तथा 99/रा0/दिनांक-23.06.2015
4	वैशाली	90000	571/दिनांक-30.06.2015
5	मुंगेर	90000	268/स्था0, दिनांक-11.03.2015 तथा 269/स्था0, दिनांक-11.03.2015
6	नवादा	90000	649/रा0, दिनांक-10.09.2015
7	लखीसराय	90000	
8	मुजफ्फरपुर	90000	
	कुल योग	751720	

(सात लाख इकावन हजार सात सौ बीस)


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।